

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश: दिनांक 16/10/2020 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित कार्मिकों की "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

उपनिदेशक (शिक्षा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक: एफ 3(ए)()शिक्षा/सीटीएडी/2020-21/26005 दिनांक: 27.10.2020 के क्रम में उक्त जारी प्रतिनियुक्ति पदस्थापन के आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-


क्र. स.	नाम कार्मिक व पद	आदेश में वर्णित वर्तमान पदस्थापन	कराया जाने वाला संशोधन
01.	श्री रूप लाल गरासिया, वरिष्ठ अध्यापक	राउमावि जोगीवड़, कोटड़ा	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- राउमावि कऊचा प.स. कोटड़ा, उदयपुर

नोट:- शेष शर्तें मूल समसंख्यक आदेश दिनांक: 16.10.2020 के अनुसार यथावत् रहेगी।


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2020 | दिनांक: 28.10.2020
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 115

- 1- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2- उपनिदेशक (शिक्षा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: एफ 3(ए)() शिक्षा/सीटीएडी/2020-21/26005 दिनांक: 27.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
- 3- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), संभाग मुख्यालय।
- 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
- 5- संबंधित मुख्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 7- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)